

न्यायालय सहायक कलक्टर (F.I.) नाम ध

ग्यानचन्द वॉ. / दुर्गा देवी वॉ.

मु.न. - 113/2024

30/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में वस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/7/24
का पेश हो

20/6/25 वादी वकील द्वारा पत्रावली शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना-पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार पाटन से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। वकुलाय उभयपक्ष की विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से वकुलाय उभयपक्ष सहमत है। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दर्ज हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर,
(फैसल) नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)



डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

ग्यानचन्द पुत्र सुरजाराम लालचन्द, जाति अहीर, निवासी ढाणी भारूवाला तन न्यौराना, पोस्ट
डोकन तहसील पाटन जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

दुर्गा देवी पत्नी छिन्नाराम, जाति माली, निवासी ढाणी कुण्डाला तन डोकन, पोस्ट डोकन,
तहसील पाटन, जिला सीकर।

प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर- 113/2024

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री बलवीर सिंह जाखड़ एडवोकेट-
वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री कुंज बिहारी शर्मा व नत्थूसिंह तंवर एडवोकेट प्रतिवादीगण
मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि-वाद वादी
मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम
डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद
हों।

निज.....*.....मुबलिंग.....*.....बाबत.....*.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....*.....फीसदी सलाना आज
की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....*.....को अदा करें। बसख्त मेरे
दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।



(Signature)
दस्तखतः
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना (राज.)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	/		स्टाम्प अर्जी दावा	/	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुकमनामा		
हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया
गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।